न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 513/2016

वादीगण :–

1. गोविन्दसिंह पुत्र खीवंसिंह
2. रामसिंह पुत्र केशरसिंह

जाति–राजपुरोहित, निवासी–आ. कालू, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. सत्यनारायण पुत्र अमोलकचन्द
2. मुरलीधर पुत्र अमोलकचन्द
3. दामोदर पुत्र अमोलकचन्द
4. ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल

जाति–राजपुरोहित, निवासीगण–आ.कालू, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

5. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदारजी जैतारण,

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

उपस्थितः– तारीख रजूः.02/09/2016

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक :– 12/03/2020

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम– आ.ाल़ू द्वितीय, पटवार हल्का–आ.कालू द्वितीय तहसील–जैतारण की सीमा में निम्नलिखित खसरा नंबर व रकबा की कृषि भूमि खसरा नंबर खसरा नंबर 734, 735, 739, 740, 741, 742, 759, 760, 761, 762, 763, 767, 768, 769, 788 आई हुई है। उपरोक्त खसरा नंबरान व रकबा की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की है, पक्षकारान के मध्य बाई, मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, पक्षकारान अपने–अपने हिस्सेनुसार मौके पर उक्त कृषि भूमि में काबिज होकर काश्त करते है। हाल ही में बरसात होने पर वादीगण अपने कब्जा–काश्त की कृषि भूमि में खड़ाई करने गये तो प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में खड़ाई व बुवाई करने से मना किया और कहा कि इस बार जो कृषि भूमि तुम्हारे कब्जे काश्त की है उसमें हम काश्त करेंगे, तुम्हें नहीं करने देंगे, प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे–काश्त की कृषि भूमि में इस प्रकार की दखलन्दाजी करने का

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अगर वादीगण के कब्जे काश्त व जायज हक अधिकार में दखलकर रहे है प्रतिवादीगण का यह कृत्य वादीगण के हक अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में कानून की निगाह में नाजायज दखल है, इसलिए वादीगण की ओर से वादीगण के कब्जे काश्त की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी हेतु यह वादपत्र श्रीमान से सेवा में सादर पेश है। प्रतिवादीगण शक्ति व बल के आधार से वादीगण के जायज खातेदारी हक-हकुकों व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में नाजायज तौर से दखल करते है, अगर प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में उपरोक्त अनुसार दखलन्दाजी रखा जाता है तो वादीगण को असीम हानि होगी तथा खातेदारी अधिकार हमेशा के लिए प्रभावित होंगे, वादीगण खातेदार होने से मौके पर कब्जा काश्त होने से वादीगण का बखुबी प्रथम दृष्टतया केस साबित है वादीगण खातेदार है व मौके पर काबिज है प्रतिवादीगण नाजायज तौर से दखल कर रहे है इसलिए प्रतिवादीगण के ऐसे कृत्य से वादीगण के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन भी है। इसलिए वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के ऐसे कृत्य से असीम हानि होना निश्चित है और सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में हैं इसलिए वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की दादरसी के लिए यह वादपत्र पेश है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अजनबी व्यक्ति को बैचान करने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण अपने ऐसे नाजायज कृत्य में सफल हो जाते है तो यह स्पष्ट नहीं होगा कि प्रतिवादीगण ने कौनसा हिस्सा बैचान किया है तथा अजनबी क्रेता भी ऐसे बैचान के आधार से अवैध तरीके से उक्त कृषि भूमि के अच्छे से अच्छे हिस्से पर काबिज हो जायेगा और वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। इसलिए ऐसे बैचान हस्तांतरण के खिलाफ यह स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उनके कृत्यां बाबत् बहुत समझाया परन्तु प्रतिवादीगण अपनी जिद्दी पर अड़े हुए है और उक्त कृषि भूमि को जबरन भूमाफियों अजनबी व्यक्तियों को बैचान हस्तांतरण करने पर आमादा हे ऐसे संयुक्त भूमि का क्रयकर्ता बंटवाड़े कराये बिना आराजी में प्रवेश नहीं कर सकता और यदि प्रवेश कर भी लिया हो तो उसका स्वत्व व अधिकार नहीं होता है एवं न्यायालय उसके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर सकती है जब तक बंटवाड़ा नहीं हो जाता तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि कौनसा भू भाग बैचा है ऐसे में यह भी सम्भव हो सकता है कि क्रयकर्ता अच्छी से अच्छी भूमि का जो हिस्सा हो उस पर काबिज हो जावे और उसे अपने खरीद का हिस्सा बताये, इसलिए धारा 44 सम्पति हस्तांतरण अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि संयुक्त सम्पति में कोई भी अजनबी व्यक्ति किसी सहस्वामी का हिस्सा कोई क्रय करता है तो उस हिस्से का बंटवाड़ा कराकर ही आराजी पर काबिज हो सकता है। बिनाय वाद दिनांक 14.08.2016 को वादीगण अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में खड़ाई व बुवाई करने गये तो प्रतिवादीगण को उनके कब्जे काश्त एवं हक हिस्से की भूमि में खड़ाई बुवाई करने में दखल व दखलंदाजी की एवं वादीगण को भविष्य में वादीगण के हक हिस्से एवं

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

कब्जेकाश्त की भूमि व काश्त से सम्बन्धित कार्य नहीं देने की एलानिया कथन किया एवं सामलाती संयुक्त कब्जेकाश्त एवं हक हिस्से की बिना बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाड़े की कृषि भूमि को बिना बंटवाड़े ही किसी अन्य अजनबी केता भू माफियाओं को बेचान हस्तांतरण करने एवं वादीगण को उनके कब्जे काश्त व हक अधिकारों की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम गांव आ.कालू पटवार हल्का-कालु द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ. कालू तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में उत्पन्न हुआ। जो श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमानजी के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो सा.मि. है। शपथ पत्र पर प्रदर्श कराये गये। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी जाकर उसपर मनन किया।

हमनें पत्रावली वादपत्र एवं साक्ष्य शपथपत्रों सहित अन्य दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। बहस अधिवक्ता वादी सुनी एवं उस पर गौर किया गया। वस्तुतः राजस्व ग्राम- आ.कालू द्वितीय, पटवार हल्का-आ.कालू द्वितीय, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 734, 735, 739, 740, 741, 742, 759, 760, 761, 762, 763, 767, 768, 769, 788 के वादीगण तथा प्रतिवादीगण सहखातेदार है।

वादपत्र के समर्थन में वादी गोविन्दसिंह पुत्र खींवसिंह प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र में वादपत्र के अभिलिखित कथनों को दोहराया गया है।

उपर्युक्त वादपत्र के आलोक में विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं हो रखा है तथा वादीगण तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजी के सहखातेदार है। अविभाजित आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है।

अतः उपर्युक्त वादपत्र के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजी के सहखातेदार होने तथा बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं होने से प्रस्तुत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना हम विधिसंगत मानते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नहीं

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी पृथक से जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक **12/03/2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीगण :- **बनाम** **प्रतिवादीगणः-**

1. गोविन्दसिंह पुत्र खीवंसिंह
2. रामसिंह पुत्र केशरसिंह

जाति-राजपुरोहित,
निवासी-आ.कालू,
तहसील-जैतारण
जिला-पाली राज.।

1. सत्यनारायण पुत्र अमोलकचन्द
2. मुरलीधर पुत्र अमोलकचन्द
3. दामोदर पुत्र अमोलकचन्द
4. ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल

जाति-राजपुरोहित,
निवासीगण-आ.कालू,
तहसील-जैतारण जिला-पाली
राज.।

5. उपपंजीयन अधिकारी एवं
तहसीलदारजी जैतारण,

<u>राजस्व वाद बाबत् स्थाई</u>
<u>निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:513/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद-वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदर्मे मय सूद व शरह ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **12/03/2020** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 - 00		स्टाम्प वकालतनामा		

Scanned with CamScanner

स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	01-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	03-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.13 13:28:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: